

राजस्थान सरकार
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 लकड़िया

आदेशः

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लकड़िया य भू.अ.नि. 250 को रिपोर्ट तथा तहसीलदार लकड़िया/नायब तहसीलदार लकड़िया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम लकड़िया तहसील लकड़िया जिला लकड़िया की जमाबन्दी सम्यत् 2026-27 में खाता संख्या 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	लकड़िया	214, 216, 217, 218, 220, 221, 223	बिन्दु देवी पालि रमधीर सिंह राम	बिन्दु दे पालि रमधीर सिंह राम

(fha)
 सहायक निदेशिका
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर

दिनांक :- 16/10/2025

क्रमांक :- 125/367

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार लकड़िया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री लकड़िया बिन्दु देवी पालि रमधीर सिंह राम को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रायली।

(fha)
 सहायक निदेशिका
 उपखण्ड लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 जिला राजसमन्